राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांकः– मुसप्र/2019/1074 दिनांकः– 12/12/2019

कार्यालय आदेश

राजस्थान आवासन मण्डल की 239वीं बैठक दिनांक 08.11.2019 के बिन्दु संख्या 239.27 के निर्णय अनुसार भीलवाडा शहर के अन्तर्गत स्थित गोविन्द नगर योजना, में मध्यम आय वर्ग–ब के 12 स्वतंत्र डूप्लेक्स आवासों को उप आवासन आयुक्त वृत्त–उदयपुर एवं अतिरिक्त मुख्य अभियंता–द्वितीय, जोधपुर द्वारा ई–ऑक्शन के माध्यम से निस्तारण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। उप आवासन आयुक्त वृत्त–उदयपुर एवं अतिरिक्त मुख्य अभियंता–द्वितीय, जोधपुर की अनुशंसा के आधार पर प्राप्त प्रस्ताव अनुसार ई–ऑक्शन मे 0–25 प्रतिशत ऋणात्मक वर्तमान आरक्षित दर में निस्तारण की स्वीकृति एतद द्वारा प्रदान की जाती है। जिनका विवरण निम्नानुसार है:–

क्र. स.	योजना का नाम	आय वर्ग	आवास संख्या	कुल आवास
1.	गोविन्द नगर योजना, राजसमंद (स्वतंत्र डूप्लेक्स आवास)	मध्यम आय वर्ग–ब	Q-02 to 07 & 09 to 14	12
			कुल	12

संबंधित उप आवासन आयुक्त एवं अतिरिक्त मुख्य अभियंता द्वारा उक्त आवास/फ्लेटों का निस्तारण न्यूनतम ऋणात्मक वर्तमान आरक्षित दर में 0–25 प्रतिशत के Slab में रखते हुए ई–ऑक्शन के तहत मण्डल द्वारा जारी कार्यालय आदेश क्रमांक 164 दिनांक 21.08.19 में निर्धारित शर्तो के अनुसार निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करेगें।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित हैं।

(रश्मी कौर)
मुख्य सम्पदा प्रबन्धक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव–अध्यक्ष/आवासन आयुक्त महो. राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता–मुख्यालय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता– द्वितीय, रा0आ0मा0, जोधपुर ।
4. निजी सचिव–वित्तीय सलाहकार, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. अति0 निजी सचिव–मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, रा0आ0म0 जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, रा0आ0म0, वृत उदयपुर।
7. आवासीय अभियन्ता, खण्ड–द्वितीय, उदयपुर रा0आ0म0 उदयपुर।
8. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), रा.आ.म., जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाइट पर डलवायें व सभी संबंधित उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता को मेल करें।
9. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु0), रा0आ0मं0, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।

मुख्य सम्पदा प्रबंधक